लैप्स बीमा पॉलिसियों को कैसे करें चालू

बीमा का लैप्स होना एक बहुत हीं सामान्य बात है। आमतौर पर प्रीमियम के वार्षिक या छमाही भुगतान के मामले में नियत तारीख से 30 दिनों तक प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है जबकि तिमाही प्रीमियम भुगतान के मामले में यह अवधि 15 दिनों की होती है। यानि, उक्त ग्रेस-पीरियड के अंदर बिना किसी पेनाल्टी के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपकी पॉलिसी चालू रहती है। लेकिन, इस अवधि के समाप्त होने के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है और लैप्स पॉलिसी पर आप किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते।

मुख्य रूप से जीवन बीमा पॉलिसियाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला, टर्म प्लान जो एक साधारण बीमा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत सिर्फ़ जोख़िम कवर होता है और इसमें कोई निवेश नहीं होता। दूसरा, ज़ोखिम कवर के साथ-साथ निवेश यानि बीमा अवधि तक बीमाधारक के जीवित रहने की स्थिति में मैच्योरिटी पर बीमा-राशि एवं बोनस (यदि कोई हो) का भुगतान। लेकिन, दूसरा विकल्प अपेक्षाकृत महंगा होता है; इसलिए ग्राहक को चाहिए कि बीमा एवं निवेश को हमेशा अलग रखें। पहले मामले में अगर ग्रेस-पीरियड के अंदर प्रीमियम की भुगतान नहीं की जाती तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन, दूसरे मामले में ग्रेस-पीरियड के अंदर भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी निवेश की गई राशि से हीं प्रीमियम का भुगतान कर देती है।

लैप्स पॉलिसियों में निम्न परिस्थियां हो सकती है:

(1) पॉलिसी लैप्स होने से 6 माह के अंदर ब्याज़ के साथ बकाये सभी प्रीमियम का भुगतान कर लैप्स पॉलिसी को चालू किया जा सकता है। इसके लिए दोबारा से मेडिकल जाँच रिपोर्ट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती।

(2) लैप्स पॉलिसी को अंतिम प्रीमियम का भुगतान न करने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर फिर से चालू कराया जा सकता है। इसके लिए बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत डॉक्टर से स्वास्थ्य ठीक होने का प्रमाण-पत्र लेकर विलंब से प्रीमियम भुगतान करने की पेनाल्टी के साथ बकाये सभी प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

(3) अगर पॉलिसी निरंतर तीन वर्षों से चालू है तो पॉलिसी 'पेड-अप वैल्यू' का हक़दार होता है। अगर कोई बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देता है, लेकिन पॉलिसी से धन की निकासी नहीं करता तो पॉलिसी को पेड अप कहते हैं। ध्यान रहे कि पॉलिसी के अंतर्गत 'सरेंडर-वैल्यू' तभी उपलब्ध होता है जब पॉलिसी लगातार कम-से-कम तीन वर्षों तक चालू हो।

लैप्स पॉलिसियों को चालू कराने के लिए कहाँ संपर्क करें:

लैप्स बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू करवाने के लिए सम्बंधित बीमा कंपनी के नज़दीकी कार्यालय या एजेंट से संपर्क करें। ब्याज के साथ सभी बकाये प्रीमियम राशि को एक फॉर्म के साथ जमा करा कर लैप्स पॉलिसी को पुनः चालू किया जा सकता है।

लैप्स पॉलिसी को चालू कराने के लाभ:

लैप्स पॉलिसी फिर से चालू कराने से सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि आपकी पॉलिसी लेने की उम्र के आधार पर गणना किए प्रीमियम का भुगतान करना होगा जो आपकी अभी की उम्र के आधार पर गणना किए गए प्रीमियम से निश्चित रूप से कम होगा। दूसरी बात यह है कि पुरानी पॉलिसी के अंतर्गत जिन लाभों की गारंटी दी गई थी वह मिलती रहेगी। इसलिए, नये पॉलिसी ख़रीदने के बजाये लैप्स पॉलिसी को पुनः चालू करवाना एक अच्छा आईडिया है।

पॉलिसी को लैप्स होने से कैसे बचाएं?

कुछ उपायों के द्वारा पॉलिसी लैप्स होने से बचा जा सकता है:

- अगर आप प्रीमियम भुगतान की तारीख भूल जाते हैं तो अपने किसी बैंक खाते की ईसीएस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे नियत तारीख को उसके बैंक खाते से स्वतः प्रीमियम का भुगतान हो जायेगा।
- जब कभी पत्राचार के पते या मोबाइल नंबर या ई-मेल मे परिवर्तन हो तो इसकी सूचना बीमा कंपनी को अवश्य दें ताकि वह प्रीमियम भरने की तारीख का रिमाइंडर भेज सकें।
- यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या बीमा कंपनी एसएमएस अलर्ट की सुविधा देती है या नहीं। इससे प्रीमियम भुगतान की तिथि से पहले ही रिमाइंडर एसएमएस के जरिए मिल जाएगा।